

५
८८

महत्वपूर्ण / त्वरित ध्यानाकर्षण हेतु

संख्या— १३६ | ।।-॥-२०७ - १७-॥

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिलालिपि ३२०२००९ - ॥

लखनऊ :: दिनांक 24 अगस्त, 2009

विषय : प्रदेश में उत्पन्न सूखे की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार से National Calamity Contingency Fund (NCCF) अन्तर्गत आपदा राहत निधि के मानकों के अनुसार सहायता मांगे जाने के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शासन द्वारा प्रदेश में उत्पन्न सूखे की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार से एन०सी०सी०एफ० अन्तर्गत अतिरिक्त सहायता लिये जाने का निर्णय लिया गया है। इस आशय से मेमोरेंडम दिनांक 1 सितम्बर 2009 को भेजा जाना है।

2— इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या— 1974/आर०-११-२००९ दिनांक 04 अगस्त 2009 द्वारा पूर्व में भी आपदा राहत निधि से जनपदों से मांग प्राप्त की गयी थी जिसके सापेक्ष जनपद से भेजी गयी मांग अत्यधिक प्रतीत हो रही थी।

3— अतएव इस पत्र के साथ संलग्न प्रोफार्मा (संलग्नक-1) (कुल पृष्ठ 2) पर अपने जिले से सम्बन्धित वास्तविक सूचनाओं को भरकर जनपद हेतु आवश्यक मांग का प्रतिवेदन प्रत्येक दशा में दिनांक 31 अगस्त, 2009 दिन सोमवार को ई-मेल आई०डी० relief_commissioner@yahoo.com पर अथवा फैक्स संख्या— 0522-2238084 / 2236305 के माध्यम से भेजा जाय।

4— इस पत्र के साथ संलग्न प्रोफार्मा (संलग्नक-2) (कुल पृष्ठ 4) संलग्नक-1 में जनपद की स्थिति अनुसार प्रविष्टियों/धनराशि को भरने के साहायतार्थ सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। फसल क्षति का निर्धारण कृषि तथा राजस्व विभाग के कार्मिकों की सयुक्त टीम द्वारा किया जाना अपेक्षित है, जिससे की जनपद की वास्तविक क्षति का आंकलन हो सकेगा।

5— उल्लेखनीय है भारत सरकार को मेमोरेंडम भेजे जाने के एक सप्ताह के अन्दर ही प्रदेश द्वारा भेजी गयी मांग का आंकलन करने हेतु केन्द्रीय टीम प्रत्येक जनपद का दौरा करेगी। ऐसी दशा में जिलाधिकारी का यह दायित्व होगा कि जनपद से प्रेषित की जाने वाली मांग सूखे की स्थिति अनुरूप युक्तियुक्त पूर्ण हो एवं मांग के आंकलन हेतु जाने वाला केन्द्रीय दल मदवार मांग से पूर्णतया सन्तुष्ट हो।

6— अतएव आपदा राहत निधि से की जाने वाली मांग का आंकलन आप स्वयं अपनी निगरानी में करायें एवं इसकी एक प्रति मण्डलायुक्त को भी उपलब्ध करायें ताकि मण्डल अन्तर्गत समस्त जनपदों की मांग का आंकलन मण्डलायुक्त द्वारा भी किया जा सके।

भवदीय,

संलग्नक— उपरोक्तानुसार

(अनुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :— पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस निवेश के साथ कि जनपदों से की जाने वाली मांग की समीक्षा कर जनपदवार अपना मन्तव्य दिनांक 31 अगस्त 2009 तक ई-मेल अथवा फैक्स के माध्यम से राहत आयुक्त को उपलब्ध करा दें।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार

(अनुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

Name of Districts :

Summary of the demand under CRF

CRF Sl.No.	ITEM	NORMS OF ASSISTANCE	Physical Unit	Period of Time (in days)	Total Amount of Requirement (Rs. in lakh)
1	2	3	4	5	6
1(a)	Ex-Gratia payment to the families of deceased persons	Rs. 1.00 lac per deceased	No. of deceased persons		
1(d)	Relief for the old, infirm and destitute children.	Rs. 20/- per adult per day.	No. of beneficiaries		
1(f)	Gratuitous relief for families in dire need of immediate sustenance after a calamity.	Rs. 15/- per child per day. Rs. 20/- per adult per day.			
2	Supplementary Nutrition.	Rs. 15/- per child per day.			
3(e)I	Assistance to small and marginal farmers for Agriculture input subsidy where crop loss was 50% and above.	Rs. 2.00/- per head per day, as per ICDS norms.	No. of SMF Area (in Ha.)	N.A.	
3(e)II	Assistance to small and marginal farmers	Rs. 2000/- per hectare in rainfed areas Rs. 4,000/- per hectare for areas under assured irrigation	No. of farmers	N.A.	
4-	Input subsidy to farmers other than small & marginal farmers	Rs. 6,000 per hectare for all types of perennial crops. Rs. 4,000/- per hectare for areas under assured irrigation	No. of other than SMF farmers	N.A.	
5-	Assistance to Small & Marginal sericulture farmers	Rs. 6,000 per ha. for Eri, Mulberry and Tussar	No. of SMF farmers	N.A.	
7(i)	Animal Husbandry .Assistance to small and marginal farmers/ agricultural labourers for Replacement of draught animals, milch animals or animals used for haulage	Rs. 2500 per ha. for Muga Milch animal- i) Buffalo/ cow/camel / yak etc. @ Rs. 10,000/- ii) Sheep/Goat @ Rs. 1000/- Draught Animals: i) Camel/horse/ bullock, etc @ Rs. 10,000/- ii) Calf, Donkey, and pony @ Rs. 5000/- Poultry @ Rs. 30/- per bird subject to a ceiling of assistance of Rs. 300/- per beneficiary household	No. of Animals	N.A.	

संलग्नक-1

7(ii)	Animal Husbandry : Provision of fodder / feed concentrate in the cattle camps (Number of big and small cattle should be given)	Large animals- Rs. 20/- per day Small animals- Rs. 10/- per day	No. of Camps	No. of Cattles
7(iii)	Animal Husbandry : Water supply in cattle camps		No. of Camps	Water supply (in kilo liter)
7(iv)	Animal Husbandry : Additional cost of medicines and vaccine (calamity related requirements)		Type of Medicine	No. of Medicine
7(v)	Animal Husbandry : Supply of fodder outside cattle camps		No. of cattle	Fodder (in Quintal)
7(vi)	Animal Husbandry : Movement of useful cattle to other areas			
8(b)	Assistance to fisherman :- Input subsidy for fish seed farm	(Rs. 4000/- per Hec.)	No. of farmers Area (in Ha.)	N.A.
11-	Provision of emergency supply of drinking water in rural areas and urban areas		No. of covered Habitation	Water supply (in kilo liter)
12-	Provision of medicines, disinfectants, insecticides for prevention of outbreak of epidemics		Type of Medicine	No. of Medicine
13-	Medical care for cattle and poultry against epidemics as a sequel to a notified natural calamity.		Type of Medicine	No. of Medicine
16-	Provision for temporary accommodation, food, clothing, medical care etc. of people affected		No. of Camps	No. of people
20	Operational cost (Of POL only) for Ambulance Service, Mobile Medical Teams and temporary dispensaries.	Cost of putting up temporary medical camps/ temporary dispensaries. Hiring of ambulance vehicles. Hiring of transport vehicles for mobile medical teams only. Actual POL expenditure for ambulance and transport vehicles for mobile medical teams.		
		TOTAL AMOUNT TOTAL AMOUNT (In Crore)		

संलग्नक-2

आपदा राहत निधि के अन्तर्गत मांगी जाने वाली धनराशि हेतु प्रारूप भरने सम्बंधी दिशा-निर्देश

सी0आर0एफ0 आइटम कोड	प्रोफार्मा भरते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ
1 (a) मृतकों के परिवार को देय अनुग्रह सहायता	कुल मृतकों की संख्या स्पष्ट रूप से लिखें तथा कुल मांग के अन्तर्गत कुल मृतकों की संख्या को प्रति मृतक देय धनराशि रु. 1.00 लाख से गुणा कर लिखें।
1 (d) वृद्ध, अक्षम, बच्चों तथा निराश्रित को सहायता	इस मद के अन्तर्गत मांगी जाने वाली धनराशि को दो अलग-अलग भागों, वयस्क और अवयस्क श्रेणी में विभक्त किया जाएगा। स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा कि कितने वयस्कों और कितने अवयस्कों को सहायता प्रदान की जानी/गयी है। कुल धनराशि के आंकलन हेतु वयस्कों की संख्या को देय धनराशि रु. 20/- से गुणा कर लिखा जाएगा। इसी प्रकार अवयस्कों की संख्या को देय धनराशि रु. 15/- से गुणा किया जाएगा।
1 (f) आपदा के बाद तात्कालिक जीवन निर्वाह हेतु सहायता	यह सहायता अधिकतम 60 दिनों तक प्रदान की जाएगी तथा भीषण स्थिति में इसे 90 दिन तक दिया जा सकता है। यदि 60 दिनों से कम सहायता दी जा रही है/आवश्यकता है तो दिनों की संख्या को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाय तथा कुल धनराशि की गणना दिनों के अनुसार ही की जाय। इस मद में भी मद 1 (d) की भांति वयस्क/अवयस्क की संख्या को अलग-अलग लिखते हुए दोनों श्रेणीयों हेतु कमशः रु. 20/- तथा रु. 15/- प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से धनराशि की मांग भी अलग-अलग की जानी चाहिए। इस मद में सहायता देने हेतु स्पष्ट निर्देश हैं कि उन्हीं परिवारों को सहायता दी जाय जिनके पास संवित खाद्य सामग्री उपलब्ध न हो या आपदा फलस्वरूप नष्ट हो गयी हो और तात्कालिक सहायता का अन्य स्रोत न हो। आपदा प्रभावित क्षेत्र के सभी परिवारों को इसके अन्तर्गत शामिल न करें।
2 अतिरिक्त पुष्टाहार	यह सहायता अधिकतम 60 दिनों तक प्रदान की जाएगी तथा भीषण स्थिति में इसे 90 दिन तक दिया जा सकता है। यदि 60 दिनों से कम सहायता दी जा रही है/आवश्यकता है तो दिनों की संख्या को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाय तथा कुल धनराशि की गणना दिनों के अनुसार ही की जाय। अतिरिक्त पुष्टाहार प्रदान किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए रु. 2/- प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से गणना करें।
3 (e)(i) फसलों, बागवानी फसलों, वार्षिक वृक्षारोपण हेतु कृषि निवेश अनुदान जहां पर नुकसान 50 प्रतिशत या अधिक हुआ है।	इस मद को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। अतः मांग भी दो श्रेणियों में की जानी है। पहली श्रेणी में वर्षा असिंचित क्षेत्र जिसे कि सहायता दी जानी है, को हेक्टेयर में लिखा जाएगा। दूसरी श्रेणी में, सहायता दिये जाने वाले सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल को हेक्टेयर में लिखा जाएगा। कुल मांग लिखते समय असिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में) को रु. 2000/- प्रति हेक्टेयर की दर से तथा सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में) को रु. 4000/- से गणना की जाएगी। — बिना बोये हुए क्षेत्र में अथवा परती भूमि में कृषि निवेश अनुमत्य नहीं

	<p>होगा।</p> <p>— लघु तथा सीमान्त किसानों को न्यूनतम भू-भाग पर भी सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि रु. 250/- होगी।</p> <p>(इस मद में धनराशि की मांग करते समय कुल प्रभावित क्षेत्रफल तथा नुकसान 50 प्रतिशत या अधिक है, का स्पष्ट उल्लेख करें।)</p>
3(e)(ii) बारहमासी फसलों हेतु कृषि निवेश अनुदान	<ul style="list-style-type: none"> — बिना बोये हुए क्षेत्र में अथवा परती भूमि में कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य नहीं होगा। — लघु किसानों को न्यूनतम भू-भाग पर भी सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि रु. 500/- होगी। — कुल धनराशि की गणना करते समय बारहमासी फसलों का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) रु. 6000/- प्रति हेक्टेयर की दर से की जाएगी।
4 लघु तथा सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों को कृषि निवेश अनुदान	<p>इस मद के अन्तर्गत मांगी जा रही धनराशि को 3 भागों में अलग-अलग लिखा जाएगा। पहले भाग में कुल प्रभावित वर्षा सिंचित क्षेत्रफल को हेक्टेयर में लिखा जाएगा तथा मांगी जा रही धनराशि की गणना रु. 2000/- प्रति हेक्टेयर की दर से की जाएगी। दूसरे भाग में कुल प्रभावित सुनिश्चित सिंचित क्षेत्रफल को हेक्टेयर में लिखा जाएगा तथा मांगी जा रही धनराशि की गणना रु. 4000/- प्रति हेक्टेयर की दर से की जाएगी। तीसरे भाग में कुल प्रभावित सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के क्षेत्रफल को हेक्टेयर में लिखा जाएगा तथा रु. 6000/- प्रति हेक्टेयर की दर से मांग की जाएगी।</p> <p>(इस मद के अन्तर्गत लघु तथा सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों के पास उपलब्ध कुल क्षेत्रफल, प्रभावित कृषकों की संख्या अलग से नोट के रूप में देना अति आवश्यक है।)</p>
5 लघु तथा सीमान्त रेशम उत्पादक कृषकों के लिए सहायता	<p>इस मद के अन्तर्गत मांगी जा रही धनराशि को 2 भागों में अलग-अलग लिखा जाएगा। पहले भाग में कुल प्रभावित इरी, मलबरी, और टसर के कुल क्षेत्रफल को हेक्टेयर में लिखा जाएगा तथा मांगी जा रही धनराशि की गणना रु. 2000/- प्रति हेक्टेयर की दर से की जाएगी। दूसरे भाग में प्रभावित मूँगा के कुल क्षेत्रफल को हेक्टेयर में लिखा जाएगा तथा मांगी जा रही धनराशि की गणना रु. 2500/- प्रति हेक्टेयर की दर से की जाएगी। कृषकों की संख्या भी दी जाय।</p>
7 (i) पशुपालन: लघु और सीमान्त कृषकों / खेतिहर मजदूरों को सहायता। (1) दुधारू, कृषि, भारवाहक पशु की प्रतिपूर्ति	<p>इस मद के अन्तर्गत मांगी जा रही धनराशि को 5 भागों में अलग-अलग लिखा जाएगा।</p> <ul style="list-style-type: none"> — पहले भाग में प्रभावित भैंस, गाय, ऊँट, याक को लिखा जाएगा तथा मांगी जा रही धनराशि की गणना रु. 10000/- प्रति जानवर की दर से की जाएगी। — दूसरे भाग में प्रभावित दुधारू जानवर भेड़, बकरी की कुल संख्या को लिखा जाएगा तथा मांगी जा रही धनराशि की गणना रु. 1000/- प्रति जानवर की दर से की जाएगी। — तीसरे भाग में दुधारू पशुओं के अतिरिक्त पशु ऊँट, घोड़ा, बैल की संख्या को लिखा जाएगा तथा कुल धनराशि की गणना रु. 10000/- प्रति जानवर

		<p>की दर से की जाएगी।</p> <p>— चौथे भाग में दुधारू पशुओं के अतिरिक्त पशु बछड़ा, गधा, खच्चर की संख्या को लिखा जाएगा तथा कुल धनराशि की गणना रु. 5000/- प्रति जानवर की दर से की जाएगी।</p> <p>(सहायता की परिसीमा 1 बड़े दुधारू पशु या 4 छोटे दुधारू पशु अथवा एक बड़े कृषि या दो छोटे कृषि पशु प्रति घरेलू इकाई के दर से देय होगी (वास्तविक क्षति चाहे जितनी भी अधिक हो उपरोक्त मानक के अनुसार ही सहायता अनुमन्य होगी)।)</p> <p>— पांचवे भाग में कुक्कुट (पक्षियों) की संख्या को लिखा जाएगा तथा कुल धनराशि की गणना रु. 30/- प्रति पक्षी की दर से की जाएगी। एक परिवार को रु. 300/- से अधिक सहायता देय नहीं होगी।</p> <p>(पशुओं की संख्या व प्रकार का अलग से नोट के रूप में स्पष्ट उल्लेख करें।)</p>
7 (ii) पशु कैम्पों में चारा/खाने प्राविधान।	में का	<p>इस मद के अन्तर्गत मांगी जा रही धनराशि को 2 भागों में अलग—अलग लिखा जाएगा।</p> <p>— पहले भाग में प्रभावित बड़े पशुओं की संख्या को लिखा जाएगा तथा मांगी जा रही धनराशि की गणना रु. 20/- प्रति जानवर प्रतिदिन की दर से की जाएगी।</p> <p>— दूसरे भाग में प्रभावित छोटे पशुओं की कुल संख्या को लिखा जाएगा तथा मांगी जा रही धनराशि की गणना रु. 10/- प्रति जानवर प्रतिदिन की दर से की जाएगी।</p> <p>(इस मद के अन्तर्गत अधिकतम 60 दिवस किन्तु गम्भीर विभीषिका वाले सूखे की स्थिति में 90 दिवस तक दी जाएगी। यदि इस मद में सहायता धनराशि की आवश्यकता 60 दिनों से कम के लिए है तो दिनों की संख्या को स्पष्ट रूप से इग्निट करें और कुल धनराशि की गणना उसके अनुसार करें।)</p> <p>(सम्पूर्ण जानकारी यथा— पशुओं की संख्या, प्रकार (बड़ा/छोटा), पशु कैम्पों की संख्या एवं कैम्प संचालन की अवधि अलग से नोट के रूप में आवश्यक रूप से दें।)</p>
7 (iii) पशु कैम्पों में पानी की आपूर्ति		इस मद के अन्तर्गत अधिकतम 60 दिवस किन्तु गम्भीर विभीषिका वाले सूखे की स्थिति में 90 दिवस तक दी जाएगी। मांग की गयी कुल धनराशि को रूपये में लिखें।
7 (iv) दवाइयों और टीकाकरण पर अतिरिक्त व्यय (आपदा सम्बन्धी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु)		
7 (v) पशु कैम्पों के बाहर चारे की व्यवस्था		
7 (vi) उपयोगी पशुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान		

पर परिगमन	
8 (b) मत्स्य बीज फार्म हेतु इनपुट सब्सिडी	₹0 4,000/- प्रति है।
11 आपात स्थिति में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था	आपूर्ति किये जाने वाला पेयजल लीटर में इंगित करें तथा कितने दिनों तक आपूर्ति की जाएगी को भी लिखें। मानक दरें उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा निर्गत दरों के आधार पर होगी।
12 महामारी रोकने हेतु दवाइयाँ, कीटनाशक तथा वी संकामक की व्यवस्था	
13 पशुओं एवं कुकुट में अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के उपरोक्त महामारी रोकने हेतु चिकित्सा व्यवस्था	
16 प्रभावित /सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाये गये व्यक्तियों हेतु अस्थाई आवास, भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ आदि की व्यवस्था। (राहत कैम्प पर)	इस मद के अन्तर्गत अधिकतम 60 दिवस किन्तु गम्भीर विभीषिका वाले सूखे की स्थिति में 90 दिवस तक दी जाएगी। यदि इस मद में सहायता धनराशि की आवश्यकता 60 दिनों से कम के लिए है तो दिनों की संख्या को स्पष्ट रूप से इंगित करें और कुल धनराशि की गणना उसके अनुसार करें।
20 अस्थाई डिस्पेन्सरी, सचल मेडिकल टीम, एम्बुलेन्स सेवाओं(केवल पी० ओ० एल०) के संचालन पर व्यय।	इस मद में मांगी गयी धनराशि के मदों की सूची, जिनका संचालन व्यय सामान्यतः शामिल होगा निम्नलिखित हैं :- <ul style="list-style-type: none"> ● अस्थाई चिकित्सा कैम्प/अस्थाई डिस्पेन्सरी के स्थापना में व्यय ● एम्बुलेन्स को किराये पर लिया जाना ● सचल चिकित्सा दलों हेतु वाहन किराये पर लिया जाना ● सचल चिकित्सा दलों हेतु एम्बुलेन्स/वाहन पर होने वाला वास्तविक पी०ओ०एल० व्यय। उपरोक्त चारों मदों के अन्तर्गत आवश्यक धनराशि को अलग-अलग लिखें।

नोट :- इसके अतिरिक्त आपदा राहत निधि में धनराशि की मांग से सम्बन्धित भ्रम की स्थिति हो तो आपदा राहत निधि की मानक नियमावली दिनांक 27 जून 2007 का आधार लें जो शासन द्वारा शासनादेश संख्या— जी.आई. 134 / 1-11-2007-46 / 97 दिनांक 31 जलाई.